

218



क्र. 13571-I-15

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी याचिका क्रं./2015

श्री अश्विनी शर्मा
तमिठे द्वारा दिनांक 28/10/15
का जबलपुर न्यायालय पर
प्रस्तुत 28/10/15

निगरानीकर्ता

:- राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा

पिता सुदंरलाल मिश्रा, उम्र 67 वर्ष, निवासी- ग्राम मचला, पोस्ट बडौदा, तहसील पनागर जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

:- श्रीमति निर्मला मिश्रा

पत्नि स्व. अनिल मिश्रा, निवासी- विजय नगर, जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर(म.प्र.)

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

28/10/15

न्यायालय तहसीलदार पनागर वृत्त महाराजपुर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रं. 19/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2015 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है कि:-

निगरानी के तथ्य:-

1. यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पनागर, वृत्त महाराजपुर जिला जबलपुर के समक्ष आवेदन पत्र वास्ते बटवारा अंतर्गत धारा 178, 178-क म.प्र. भू-राजस्व, संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया है।

2. यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा मौजा मचला, प.ह.नं. 66, रा. नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 10/3, 15/3, 25, 26/1, 28, 47/2, 49, 68/2 क्रमशः रकवा 0.800 हे., 0.280 हे., 0.510 हे., 0.250 हे., 1.050 हे., 0.




28 OCT 2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3571-एक/15

जिला - जबलपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 25/02/2019 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p>कलेक्टर जिला जबलपुर</p> | |